RESERVE B

Speed Post/स्पीड पोस्ट

The Officer-in-Charge

Bays No: 7-12, Sector-4 Panchkula - 134112

गै.बै.प.वि.न.दि. सं.१५५० /एसएलसीसी/ 02.06.018/2017-18

महोदय.

Booklet on "Indian Non-Banking Financial System"

जैसा कि आपको ज्ञात हैं कि प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकें बुलाई जाती है, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियां शामिल हैं जैसे पुलिस तथा अन्य वित्तीय नियामकों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई, एमसीए, एनएचबी आदि भाग लेते हैं। समिति का जनादेश, अन्य बातों के साथ, धोखाधड़ी संस्थाओं द्वारा धन के अनिधकृत संग्रह की घटनाओं से निपटना हैं तथा बैठकें राज्य सरकार के मुख्य सचिव/UT प्रशासक की अध्यक्षता में आयोजित होती हैं।

Department of Technical Education, Hary

2. समिति ने रातों रात धोखाधडी वाली निवेश योजनाएँ चलाकर भाग जाने वाली निकायों से बचने के लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं तथा बचत करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना, शिकायत निवारण तंत्र आदि पर जनता के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली ने गैर-बैंकिंग वित्त क्षेत्र और विभिन्न नियामक निकायों तथा इसके शिकायत निवारण

As you may be aware that the State Level Coordination Committee (SLCC) meetings are convened in each state/UT, with the participation of officials of the government, enforcement agencies such as the police, other financial regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI, MCA, NHB etc. The mandate of the committee is, inter alia, to deal with incidences of unauthorized collection of funds by fraudulent entities, and meetings are conducted under the chairmanship of the Chief Secretary of the Government/Administrator of the UT.

The committee has taken decision/steps to safeguard the interest of the depositors from the fraudulent investment schemes operated by fly by night operators and is also entrusted with the responsibility of creating awareness among the members of public on do's and don'ts while investing savings, greviance redresssal mechanisms etc. Reserve Bank of India, New Delhi, has prepared a booklet on "Indian Non-Banking

Department of Non-Banking Supervision, 6, Sansad Marg, New Delhi-110001, India Ph. No: (011) 23714456, 23739318, 23719466 Fax No: (011) 23752188 Email-dnbsnewdelhi@rbi.org.in

तंत्र की जानकारी प्रसारित करने हेतु सरकारी अधिकारियों के लिए "भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली" पर एक पुस्तिका तैयार की है। इस पत्र के साथ इस पुस्तिका की एक प्रति संलग्न हैं।

3. हमें जनता के सदस्य के बीच जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तदनुसार, हमने अन्य वित्तीय नियामकों के साथ जनता के लिए कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कृपया सामान्य जनता के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए हमसे संपर्क करें।

Financial System" with a view to disseminate information related to Non-Banking finance realm and different regulatory bodies and grievance redressal mechanism thereunder for the benefit of Govt. officials. A copy of the booklet is attached with this letter.

3. We are also entrusted with the responsibility of spreading awareness among the general members of public. Accordingly, we have conducted several awareness programmes for the general public along with other financial regulators. Please feel free to contact us for conducting such programmes for general public.

भवदीया ्रांटिन्ने (आतिरा बाबू) प्रबन्धक संलग्न: एक पुस्तिका

निदेशालय तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा पंचकुला

पृ0 कमांकः

779

/प्रशा0—ा

दिनांकः 27.02./8

उपरोक्त पत्र की एक प्रति भारतीय गैर—बैंकिग वित्तीय प्रणाली पर तैयार पुस्तिका सिहत संयुक्त निदेशक (आई0टी0) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि इसे विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।

> संयुक्त-निदेशक (प्रशा0-ा) कृतेः महानिदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग, हिरयाणा, पंचकूला।

3/1/2

By Si Si





INDIAN NON-BANKING
FINANCIAL SYSTEM

INDEX

| Sr. No. | Particular | Page No. |
|---------|--|----------|
| 1. | भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली | 1 |
| 2. | आम जनता से जमाराशि स्वीकार करने संबंधि गतिविधियों | |
| | के स्वरूप एवं संबंधित विनियामक | 2 |
| 3. | विनियामकों के कार्य | 3-13 |
| 4. | गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों, सामूहिक निवेश योजनाओं एवं | |
| | प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने पर नोट | 14-18 |
| 5. | शिकायत निवारण तंत्र | 19-28 |
| 1. | Indian Non-Banking Financial System and Regulators | 29 |
| 2. | Types of deposit taking activities from public and | |
| | respective Regulators | 30 |
| 3. | Functions of Regulators | 31-41 |
| 4. | Note on NBFCs, Collective Investment Schemes, | |
| | Raising Funds through Private Placements | 42-44 |
| 5. | Grievance Redressal Mechanisms | 45-49 |
| | | |

Compiled & Printed by

Department of Non - Banking Supervision Reserve Bank of India, New Delhi



1. भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली एवं विनियामक

| मंत्रालय | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
|----------|---|
| | कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार |
| विभाग | आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
| | वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार |
| विनियामक | भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) |
| | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) |
| | भारतीय बीमा विनियामक और विकासप्राधिकरण (इरडा) |
| | पेंशन निधि विनियामक और विकासप्राधिकरण (पीएफआरडीए) |
| | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) |

2. <u>आम जनता से जमाराशि स्वीकार करने संबंधी गतिविधियों के</u> स्वरूप एवं संबंधित विनियामक

| | वित्तीय संस्थान/ उत्पाद/ योजना | विनियामक |
|---|---|---|
| क | बैंक | भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) - (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 |
| ख | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) | भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) - (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1949) |
| ग | निधि कंपनियां एवं पस्पर लाभ कंपनियां (एमबीसी) | भारतीय रिज़र्व बैंक और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) (कंपनी अधिनियम 2013/ 1956) |
| घ | कंपनी जमा | भारतीय रिज़र्व बैंक और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय - (दि कंपनीज़ एक्सप्टेंस ऑफ डिपॉज़िट रूल्स) |
| ङ | सामूहिक निवेश योजनाएं | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) - (सीआईएस रेग्यूलेशन) |
| च | म्यूचुअल फंड | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) - (म्यूचुअल फंड) रेग्यूलेशन, 1996 |
| छ | चिट फंड | राज्य सरकार – (दि चिट फंड एक्ट, 1982) |
| ज | प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम | राज्य सरकार (प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैर्निंग) एक्ट, 1978) |
| झ | बीमा उत्पाद | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) |
| স | राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), अटल पेंशन योजना तथा ऐसी अन्य कोई पेंशन योजना जो अन्य किसी अधिनियम से विनियमित न होती हो | (पीएफआरडीए) |
| ट | आवास वित्त कंपनियों द्वारा जमा | राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) |

3. विनियामकों के कार्य

कंपनियों एवं निवेशकों के संबंध (इंटरफेस) का विनियमन कंपनी अधिनियम, 2013/1956 तथा अन्य सिविल एवं आपराधिक कानूनों एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) सरीखे विभिन्न विनियामकों के माध्यम से विनियमित होता है। विभिन्न विनियामकों/ सरकारी विभागों/ एजेंसियों के कार्य नीचे दिए गए हैं:-

- कंपनी अधिनियम, 2013; कंपनी अधिनियम, 1956; सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 तथा अन्य सहायक अधिनियमों एवं नियमों तथा विनियमों जैसे कि भागीदारी अधिनियम, 1932; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 आदि के माध्यम से भारत में कंपनी कार्य विनियमित होते हैं।
- एमसीए का ढ़ांचा त्रिस्तरीय है, इसके कोलकाता, चेन्नै, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा शिलांग में क्षेत्रीय निदेशक हैं जो कि पूर्व, दक्षिण, उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र को देखते हैं, कंपनी पंजीयक (आरओसी) के कार्यालय विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में हैं एवं आधिकारिक परिसमापक उच्च न्यायालयों से संबंद्ध हैं।
- कंपनी पंजीयक मुख्य तौर पर संबंधित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में बनने वाली कंपनियों एवं सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को पंजीकृत करने का कार्य करता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि ये कंपनियां एवं एलएलपी अधिनियम की सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करें। कंपनी पंजीयक के कार्यालय को अपने यहां पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेख की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करना होता है।
- कंपनी बनाने के इच्छुक व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं एवं पिब्लक लिमिटेड कंपनी (न्यूनतम चुकता पूंजी (यथा निर्धारित) के साथ एवं न्यूनतम 7 व्यक्ति अभिदाता के रूप में) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (न्यूनतम चुकता पूंजी (यथा निर्धारित) के साथ एवं न्यूनतम 2 व्यक्ति अभिदाता के रूप में) बना सकते हैं।



 कारपोरेट कार्य मंत्रालय/कंपनी पंजीयक (एमसीए/ आरओसी)

बहिर्नियम एवं अंतर्नियम के साथ कंपनी पंजीकरण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सकती है। बहिर्नियम एवं अंतर्नियम में कंपनी को इसके नाम, क्या यह प्राइवेट लि. कंपनी या पब्लिक लि. कंपनी है, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय किस राज्य में स्थित है, कंपनी के मुख्य तथा गौण उद्देश्य क्या हैं, देयता शेयरों तक सीमित है या निदेशकों की सीमित देयता गारंटी से सीमित है, इसके निदेशकों के ब्योरे आदि की जानकारी देनी चाहिए।

कंपनी पंजीयक कंपनी को निगमन प्रमाणपत्र जारी करता है। अपना कारोबार शुरू करने या धन एकत्र करने से पूर्व कंपनी को कारोबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र हासिल करना होता है।

> भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 01 अप्रैल 1935 को हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावना में रिज़र्व बैंक के मूल कार्यों को वर्णित करते हुए कहा गया है कि "......बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थयित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली परिचालित करना।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका एवं कार्य:-

 मौद्रिक प्राधिकारी:- मौद्रिक नीति बनाना, इसका कार्यान्वयन एवं निगरानी।

> उद्देश्य:- कीमत स्थायित्व बनाए रखना एवं सभी उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना।



2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

(आरबीआई) वित्तीय प्रणाली का विनियामक एवं पर्यवेक्षक:- बैंकिंग परिचालन के लिए मुख्य मानक निर्धारित करता है जिसके तहत देश की बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। उद्देश्य:-प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना एवं आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।

भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के दिशानिर्देशों के तहत वित्तीय पर्यवेक्षण का कार्य करता है। इस बोर्ड का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक मंडल की समिति के रूप में नवंबर 1994 में हुआ था। बीएफएस का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है जिसमें वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थान तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आती हैं।

वर्तमान लक्ष्य:- वित्तीय संस्थानों का पर्यवेक्षण, समेकित लेखा प्रणाली, बैंक कपट के वैधानिक मुद्दे, गैर-निष्पादक आस्तियों के मूल्यांकन में भिन्नता तथा बैंकों के लिए पर्यवेक्षी दर मॉडल।

भुगतान और निपटान प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (बीपीएसएस) भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक मंडल की एक उप-समिति है जो कि देश में भुगतान प्रणाली के बारे में नीति निर्माण का उच्चतम निकाय है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रस्तावना में इसके मुख्य कार्यों को इस तरह वर्णित किया गया है:- "... प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और प्रतिभूति बाजार के विकास एवं इससे जुड़े आनुषंगिक मामलों को विनियमित करना।"

प्रतिभूति बाजार को संचालित करने वाले मुख्य विधान इस प्रकार हैं:-

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992
- सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रेक्टस (रेग्यूलेशन), 1956
- डिपोजिटरीज़ एक्ट,1996
- कंपनी अधिनियम, 2013/1956

सेबी की भूमिका तथा कार्य इस प्रकार हैं:-

- शेयर बाजार का विनियमन,
- बाजार मध्यस्थों अर्थात दलालों (ब्रोकर), उप-दलालों, निर्गम के बैंकरों, न्यासियों, पंजीयक एवं अंतरण एजेंटों, हामीदारों, मर्चेंट बैंकरों, पोर्टफोलियो मैनेजरों, निवेश परामर्शदाताओं का पंजीयन एवं इनका विनियमन,
- जमाकर्ताओं, सहभागियों, कस्टोडियनों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, साख दर एजेंसियों, म्यूचुअल फंडों तथा वेंचर कैपीटल फंडों को पंजीकृत करना एवं इनके कार्यों को विनियमित करना,
- सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीयन एवं इनके कार्य का विनियमन,



3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- प्रतिभूति बाजार से संबंधित ट्रेड की कपटपूर्ण एवं अनुचित प्रथाओं को रोकना,
 प्रतिभूति में भेदिया व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकना,
- मध्यस्थों एवं स्व-नियंत्रित संगठनों (एसआरओ) की सूचना मंगाना, निरीक्षण करना, जांच करना,
- बहुत अधिक मात्रा में शेयरों के अधिग्रहण एवं नियंत्रण में लेने का विनिमय करना।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 की धारा 11(क) के अनुसार, पूंजी के निर्गम या प्रतिभूति के अंतरण एवं संबंधित प्रकटीकरण से संबंधित विषयों पर निवेशकों के संरक्षण हेतु बोर्ड विनियम निर्दिष्ट कर सकता है।
- या सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से किसी भी कंपनी को शेयर विवरण पत्र (प्रास्पेक्टस), प्रस्ताव दस्तावेज जारी करने से या आम जनता से धन हासिल करने के लिए विज्ञापन देने से रोक सकता है या इनके निर्गम हेतु शर्तें निर्दिष्ट कर सकता है।
- आम मिथक:- सेबी सार्वजिनक निर्गम एवं इसके मूल्य को अनुमोदित करता है।

<u>वास्तविकता:-</u> सेबी केवल प्रवेश एवं प्रकटीकरण मानकों का अधिदेश देता है। अग्रणी प्रबंधक समुचित सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) बरतता है एवं प्रकटीकरण सत्यापित करता है। अग्रणी मर्चेंट बैंकर से परामर्श करके या बही निर्माण प्रक्रिया से निर्गमकर्ता निर्दिष्ट प्रतिभूति के मूल्य का निर्धारण कर सकता है। इसी तरह, परिवर्तनीय ऋण लिखत की कूपन दर एवं परिवर्तन मूल्य निर्धारित किया जा सकता है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित हुआ।

इरडा का मिशन इस प्रकार है:-



4. भारतीय बीमा विनियामक और चिकास प्राप्त करण इरडा)

- पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना एवं बीमा उद्योग को विनियमित करना एवं इसका विकास करना;
- आम आदमी के लाभ के लिए एवं अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने हेतु दीर्घावधि निधियां उपलब्ध कराने के लिए बीमा उद्योग की तीव्र एवं व्यवस्थित वृद्धि करना (इसमें वार्षिकी एवं अधिवर्षिता भुगतान शामिल हैं);
- जिन्हें ये विनियमित करे उनमें ईमानदारी, वित्तीय सुदृद्धता, उचित लेनदेन के उच्च मानक स्थापित करना, इनका संवर्धन करना तथा इन्हें लागू करना एवं क्षमता विकास;

- सही दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा में कपट एवं अन्य कुप्रथाओं को रोकना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना तथा प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना।
- वित्तीय बाजार लेनदेनों तथा बीमा में निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा सुव्यवस्थित व्यवहार को बढ़ावा देना एवं बाजार सहभागियों में वित्तीय सुदृद्धता के उच्च मानक लागू करना ताकि विश्वसनीय प्रबंधन सूचना प्रणाली निर्मित हो सके।
- जहां ये मानक अपर्याप्त हैं या जहां अप्रभावी रूप से इनका पालन किया जा रहा हो वहां कार्रवाई करना, एवं
- इस उद्योग की दैनंदिन कार्यप्रणाली में स्व-नियंत्रण को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना ताकि ये विवेकसम्मत मानकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सके।

इरडा के कार्य:-

- आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, इस प्रमाणपत्र का नवीकरण करना, संशोधित करना, वापिस लेना, निलंबित करना या इसे निरस्त करना;
- पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारक के नामांकन, बीमित हित, बीमा दावों के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य एवं बीमा संविदा की अन्य शर्तों के बारे में बीमाधारक के हितों की रक्षा;
- मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों एवं एजेंटों के लिए अपेक्षित अर्हता, आचार संहिता एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण को निर्दिष्ट करना;
- सर्वेक्षकों एवं हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता निर्दिष्ट करना;
- बीमा कारोबार करने में दक्षता को बढ़ावा देना;
- बीमा एवं पुनर्बीमा कारोबार से संबंधित व्यावसायिक संस्थानों का संवर्धन एवं इनका विनियमन;
- इस अधिनियम के तहत कार्यों को करने के लिए शुल्क तथा अन्य प्रभार वसूलना;
- बीमा कारोबार से संबंधित बीमित, मध्यस्थों, बीमा मध्यस्थों तथा अन्य संगठनों से सूचना मंगाना, निरीक्षण करना, जांच तथा अन्वेषण के साथ-साथ लेखा-परीक्षा करना;
- साधारण बीमा कारोबार के बारे में बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित संबंधित दर, लाभ व शर्तों का नियंत्रण एवं विनियमन;
- बीमा करने वाले एवं बीमा से संबंधित अन्य मध्यस्थों द्वारा जो बही खाते एवं लेखा विवरण रखे जाने हैं उनका स्वरूप एवं तरीके को निर्धारित करना;
- बीमा कंपनियों द्वारा निधि के निवेश का विनियमन;
- ऋण-शोधन क्षमता के मार्जिन के रखरखाव का विनियमन;
- बीमा करने वाले एवं मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों के बीच होने वाले विवादों का अधिनिर्णयन;
- उक्त संदर्भित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन एवं विनियमन हेतु योजनाओं के वित्तपोषण के लिए बीमा करने वाले के प्रीमियम की आय का प्रतिशत निर्धारित करना;
- बीमा करने वाले को ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रतिशत तक जीवन बीमा कारोबार एवं साधारण बीमा करोबार करना है उसका प्रतिशत निर्धारित करना; एवं
- जैसा निर्धारित किया जाए उसके अनुसार अन्य शक्तियों का उपयोग करना।

इरडा ने जीवन, साधारण, पुनर्बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा कारोबार, दलालों एवं इनके एजेंटों के लिए विनियम जारी किए हैं। विनियम में मध्यस्थों एवं उनके एजेंटों पर यह जिम्मेदारी ड़ाली गई है कि बीमा उत्पाद बेचने का कारोबार शुरू करने से पहले वे पंजीकरण प्रमाणपत्र हासिल करें।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित हुआ एवं इसे 01 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया। एनपीएस, जिसके अभिदाताओं में केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों, निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं, का नियमन पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 पीएफआरडीए के निम्नलिखित मूल कार्यों को निर्धारित करता है:- "......वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और नियमित करना, पेंशन निधि योजनाओं एवं उससे जुडे विषयों अथवा उससे संबंधित आनुषांगिक विषयों में अभिदाता के हितों की रक्षा करना "।

5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम पारित होने के पश्चात पीएफआरडीए ने 15 विनियम अधिसूचित किए हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में उन्हीं शक्तियों का प्रावधान किया गया है जो कतिपय मामलों में वाद के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित होते हैं।

इस प्राधिकारी की भूमिका तथा कार्य इस प्रकार हैं:-

विनियम 14 (1) इस अधिनियम एवं समय-समय पर लागू अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन इस प्राधिकारी का कार्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा ऐसी पेंशन योजनाओं को विनियमित, संवर्धित करना तथा उनकी सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करना है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है तथा इस प्रणाली एवं योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना है।

पीएफआरडीए पेंशन बाजार की सुव्यवस्थित वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित करता है।

- (2) उप-धारा 14 (1) में निहित प्रावधानों पर आम तौर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्राधिकारी की शक्तियों एवं कार्यों में ये शामिल हैं:-
- (क) राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा उन पेंशन योजनाओं का विनियमन जिन पर यह अधिनियम लागू है;

- (ख) योजनाओं, पेंशन निधि के कॉरपस प्रबंधन हेतु शर्तें एवं मानक निर्धारित करने के साथ-साथ इन योजनाओं के लिए निवेश संबंधी दिशानिर्देश अनुमोदित करना;
- (ग) मध्यस्थों को पंजीकृत करना एवं इनका विनियमन;
- (घ) मध्यस्थ के आवेदन पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना एवं इसका नवीकरण करना, इसमें संशोधन करना, इसे वापिस लेना, पंजीकरण का निलंबन या इसे रद्द करना;
- (ङ) निम्नलिखित द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना:-
- (i) उन विभिन्न पेंशन निधियों, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, के अभिदाताओं के अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मध्यस्थन एवं परिचालन अन्य लागतें किफायती हों;
- (च) विनियमों के निर्धारण के मुताबिक अभिदाताओं की शिकायतों के निपटान के लिए प्रणाली स्थापित करना;
- (छ) पेंशन प्रणाली से संबंधित व्यावसायिक संगठनों को बढ़ावा देना;
- (ज) मध्यस्थों के मध्य या मध्यस्थों एवं अभिदाताओं के मध्य होने वाले विवादों में अधिनिर्णयन;
- (झ) डॉटा एकत्र करना एवं मध्यस्थों से डॉटा एकत्र करवाना एवं अध्ययन, अनुसंधान तथा प्रोजेक्ट का दायित्व देना एवं इन्हें आरंभ कराना;
- (ञ) पेंशन, सेवानिवृत्त बचत तथा संबंधित मसलों के बारे में अभिदाताओं तथा आम जनता को शिक्षित करने एवं मध्यस्थों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाना;
- (ट) पेंशन निधियों के निष्पादन एवं निष्पादन बेंचमार्क के बारे में सूचना प्रसारण को मानकीकृत करना;
- (ठ) विनियमित आस्तियों का विनियमन;
- (ड) इस अधिनियम के तहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य प्रभार वसूलना;
- (ढ) विनियमों के माध्यम से यह निर्दिष्ट करना कि लेखा बही किस रूप तथा किस तरह से रखनी है एवं मध्यस्थ किस तरह लेखा विवरण प्रस्तुत करेंगे;
- (ण) पेंशन निधि से संबंधित मध्यस्थों एवं अन्य संस्थाओं या संगठनों से सूचना मंगाना, इनका निरीक्षण करना, लेखा-परीक्षा सहित पूछताछ एवं जांच करना;
- (त) यथानिर्धारित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा कार्य करना

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 09 जुलाई 1988 को एनएचबी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना में एनएचबी के आधारभूत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

"...स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर कार्य संचालन तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता और उनसे संबंधित अथवा उनसे प्रासंगिक विषयों के लिए उपलब्ध कराना।"

एनएचबी के कार्य इस प्रकार हैं:-

- ऐसी सुदृढ़, मजबूत एवं किफायती आवास वित्त प्रणाली का संवर्धन करना जो कि समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके एवं समग्र वित्तीय प्रणाली से आवास वित्त प्रणाली को जोड़ सके।
- समर्पित आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को प्रोत्साहित करना ताकि विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न आय समूह वालों को सेवा प्रदान की जा सके।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाना एवं फिर उन्हें आवास वित्त हेतु सुपुर्द करना।
- आवास ऋण को अधिक वहन योग्य बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवासीय भूमि की आपूर्ति के साथ-साथ आवास के लिए भवन निर्माण सामग्री जुटाने को प्रोत्साहित करना एवं देश में आवास स्टॉक का उन्नयन करना।
- सार्वजनिक एजेंसियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे आवास हेतु ऐसी भूमि उपलब्ध कराने में सहायक एवं आपूर्तिकर्ता बनें जिस पर आवास संबंधी बुनियादी काम कर लिए गए हों।

राष्ट्रीय आवास बैंक की विनियामक एवं पर्यवेक्षी गतिविधियों से संबंधित ब्योरे; आवास वित्त कंपनियों से संबंधित निदेश एवं नीतिगत परित्र के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों की सूची राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर उपलब्ध है।



10

पंजीयक के मुख्य कार्य इस प्रकार है:-

- सहकारी समितियों का पंजीकरण;
- सहकारी समितियों के उप-नियमों में संशोधन का पंजीकरण;

41

- सहकारी समितियों का समामेलन, बंटवारा एवं पुनर्गठन;
- सहकारी समितियों की प्रबंध समिति का समय से चुनाव सुनिश्चित करना;
- प्राथमिक सहकारी बैंकों एवं फेडरल सहकारी समितियों में प्रबंध समिति का चुनाव कराना;
- सहकारी समितियों में अधिनियम एवं नियमों के मुताबिक निधियों का समुचित निवेश सुनिश्चित करना;
- सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा करना,
 निरीक्षण, जांच का आदेश देना एवं लापरवाह
 पदाधिकारियों पर सरचार्ज निर्धारित करना;
- मध्यस्थता के माध्यम से सहकारी समितियों के विवाद निपटाना;
- अपील न्यायालय के रूप में कार्य करना;
- विभिन्न न्यायालयों के आदेश, अधिनिर्णय एवं डिक्री लागू कराना/ निष्पादित कराना;
- निष्क्रिय/ कार्य न करने वाली समितियों के समापन एवं पंजीकरण निरस्त करने के आदेश देना;
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सहकारिता अभियान के विकास के लिए सहकारिता शिक्षण निधि का उपयोग प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रचार एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के लिए करना;
- समय-समय पर सहकारी समिति नियम, 1973 के लिए नियम बनाना/ संशोधन करना;
- विभिन्न तरह के सहकारिता कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदेश/ निदेश जारी करना;
- आवासीय सहकारी समितियों में सदस्यता के नए आवेदन, त्यागपत्र एवं सदस्यता समाप्त करने के आवेदन संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करना;



7. सहकारी समिति पंजीयक

- सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सिहत केंद्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित विभिन्न लाभकारी योजनाएं बनाना, इन्हें निष्पादित करना तथा इन पर निगरानी रखना।
- एक से अधिक राज्य में कार्य करने वाली सहकारी समितियों को बहु-राज्य सहकारी समिति कहा जाता है और इनका विनियमन सहकारी समिति केंद्रीय पंजीयक (कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) करता है।
- बहु-राज्य सहकारी समिति के मामले बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार विनियमित होते हैं।
- > बहु-राज्य सहकारी समितियों की सूची www.mscs.dac.gov.in पर उपलब्ध है।

सहकारी समिति पंजीयक (आरसीएस) - दिल्ली

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के तहत दिल्ली के उप-राज्यपाल सहकारी समिति पंजीयक की नियुक्ति करते हैं जो कि सहकारिता विभाग का प्रमुख होता है एवं इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों के कार्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंजीयक का कार्यालय आठ-अनुभागों में कार्य करता है एवं आठों अनुभागों का प्रमुख सहायक पंजीयक स्तर का अधिकारी होता है। अनुभाग विशेष में जिस सहकारी समिति का पंजीकृत कार्यालय आता है वही अनुभाग उससे संबंधित मामलों को देखता है।

सहकारी समिति पंजीयक (आरसीएस) – हरियाणा

कृषकों, दस्तकारों एवं सीमित आय वाले व्यक्तियों में मितव्ययिता एवं स्वयं सहायता के संवर्धन हेतु सहकारी समितियों के गठन को सुगम बनाने के लिए हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 बनाया गया, एवं इसके लिए सहकारी सोसाइटियों से संबंधित कानून संशोधित करना।

- इनामी चिट एवं मुद्रा प्रचलन योजनाओं के संवर्धन या इनके आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैर्निंग) एक्ट, 1978 बनाया है।
- मुद्रा प्रचलन योजनाओं से उन योजनाओं का आशय है जो चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाती हों पर जिनमें तुरंत या आसानी से धन प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया जाए या धन या किसी मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल में धन प्रदान करने का वायदा किया जाए, ऐसे सदस्य के योजना में शामिल होने की किसी घटना या सापेक्ष आकस्मिकता या प्रयोज्यनीयता पर हो, चाहे भले ही ऐसी योजना में सदस्य के प्रवेश शुल्क या आवधिक अभिदान से धन या वस्तु हासिल हुई हो न हुई हो।
- भारत सरकार ने 1982 में चिट फंड एक्ट बनाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा राज्य सरकार दोनों ने ही चिट फंड एक्ट को अपनाया है। इस अधिनियम के तहत जीएनसीटी दिल्ली में नियम बनाए गए हैं एवं हरियाणा में नियम बनाए जा रहे हैं।
- चिट से आशय उस लेनदेन से है जिसे चिट, चिट फंड, चिट्टी, कुरी या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो या जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट संख्या के व्यक्तियों के साथ एक करार करता हो।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा राज्य सरकार दोनों ने ही जमाकर्ताओं के हित संरक्षण हेतु कानून बनाए हैं अधिनियम में ऐसे वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं जो जमाकर्ताओं की जमाराशि/ब्याज वापिस नहीं कर पाते हों। अधिनियम में दोषियों को गिरफ्तार करने एवं दोषी वित्तीय संस्थाओं की संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान है।

इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित अवधि के तहत आवधिक किस्तों के माध्यम से एक निश्चित राशि (या इसके बजाय निश्चित मात्रा में अनाज) का अभिदान करे और अपनी बारी आने पर चिट करार में किए गए निर्दिष्टीकरण के अनुसार निर्धारित लॉट से या नीलामी से या निविदा से पुरस्कार राशि का हकदार हो।



8. राज्य सरकार

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सामूहिक निवेश योजनाओं एवं प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने पर नोट

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

परिभाषा - एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) एक ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है तथा ऋण और अग्रिम, वित्तीय आस्तियों में निवेश, पट्टा, हायर पर्चेज, बीमा व्यवसाय के कारोबार में संलग्न होती है लेकिन इसमें ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं होती है जिसका प्रमुख कारोबार कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य, किसी वस्तु की खरीद अथवा बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा), अथवा सेवा प्रदायगी तथा अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण है।

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकतीं।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भुगतान और निपटानप्रणाली का हिस्सा नहीं हैं तथा ये स्वयं पर आहारित चेक जारी नहीं कर सकतीं।
- यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हैं तो केवल उन्हीं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, जिन्हें आरबीआई ने विशेष रूप से प्राधिकृत किया है और जिनकी एक निवेश ग्रेड रेटिंग है, अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 1.5 गुने की सीमा तक जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने/ धारित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- अनिगमित निकाय जनता से जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते। स्वत्वधारी और सहभागिता फ़र्में अनिगमित निकाय होती हैं। इसलिए उनको भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी अनिगमित कंपनियाँ, यदि जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करती पाई गईं, तो उन पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए और अधिकतम 60 महीने की अवधि के लिए जनता से जमाराशियाँ स्वीकार करने/ नवीकृत करने की अनुमित प्रदान की गई है। वे मांग पर भुगतान की जाने वाली जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकतीं।

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 12.5% की दर से अधिक ब्याज नहीं दे सकतीं। वर्तमान में, जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए अधिकृत कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अधिकतम 12.5% तक की दर से ब्याज दे सकती है। ब्याज को ऐसे विरामों पर भुगतान या चक्रवृद्धि किया जाएगा जो मासिक विराम से कम नहीं होने चाहिए।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जमाराशियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा न ही बीमित हैं और न ही गारंटीकृत हैं। निक्षेप बीमा एवं ऋण प्रत्यय निगम (डीआईसीजीसी) की जमा बीमा सुविधा बैंकों की तरह एनबीएफ़सी के जमाधारकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे www.rbi.org.in पर देखा जा सकता है। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सूची, जिनके पास जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र है, आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध कराई गई है।

सामूहिक निवेश योजनाएं

परिभाषा – सेबी अधिनियम की धारा 11 एए के अनुसार ऐसी कोई योजना या व्यवस्था जो उपधारा (2) [(अथवा उपधारा 2 ए]में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती है, सामूहिक योजना कही जाएगी। किसी (व्यक्ति) द्वारा बनाई गई या प्रस्तुत कोई योजना या व्यवस्था जिसके अंतर्गत ----

- (i) अंशदान, अथवा निवेशकों के द्वारा किए गए भुगतान चाहे जो भी नाम हो, को समूहित किया जाता है और योजना या व्यवस्था के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। (इसका तात्पर्य है कि अंशदान का समूहन किया जाता है।)
- (ii) ऐसी योजना या व्यवस्था में निवेशकों द्वारा अंशदान अथवा भुगतान इस प्रयोजन से किया जाता है ताकि ऐसी योजना अथवा व्यवस्था से लाभ, आय,प्रतिलाभ

- अथवा संपत्ति चाहे चल हो या अचल अर्जित की जा सके (इसका तात्पर्य है कि निवेशक प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए अंशदान देते हैं।)
- (iii) ऐसी योजना या व्यवस्था से सृजित संपत्ति, अंशदान, अथवा निवेश का, चाहे यह पहचान योग्य हो अथवा नहीं, निवेशकों की ओर से प्रबंध किया जाता है। (इसका तात्पर्य है कि योजना की संपत्ति का निवेशकों की ओर से सामूहिक निवेश योजना द्वारा प्रबंध किया जाता है।)
- (iv) निवेशकों का ऐसी योजना या व्यवस्था के प्रबंधन और परिचालन पर दैनिक नियंत्रण नहीं होता है। (इसका तात्पर्य है कि निवेशक का दैनिक प्रबंधन/ परिचालन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।

[2ए] इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नियमावली में विनिर्दिष्ट के अनुसार शर्तों को पूरा करने वाली, किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई अथवा प्रस्तुत, कोई योजना या व्यवस्था। सेबी अधिनियम की धारा 11 एए (3) सीआईएस से निम्नलिखित छुट प्रदान करती है।

- (i) सहकारी सोसायटी अधिनियम 1912 (1912 का 2) के अंतर्ग पंजीकृत किसी सहकारी सोसायटी द्वारा अथवा सोसायटी होने के कारण पंजीकृत अथवा किसी राज्य में उस समय प्रचलित सहकारी सोसायटी से संबन्धित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत समझी जाने वाली सोसायटी के द्वारा बनाई या प्रस्तुत की गई;
- (ii)भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45- । के खंड (एफ़) में परिभाषित के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियाँ;
- (iii) बीमा संविदा होने के कारण जिस पर बीमा अधिनियम 1938 (1938 का4) लागू होता है;
- (iv) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अंतर्गत बनाई गई कोई योजना, पेंशन योजना अथवा बीमा योजना के अंतर्गत:
- (v)कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 58 A के अंतर्गत स्वीकार की गई जमाराशियाँ;

- (vi) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 620 A के अंतर्गत निधि अथवा पारस्परिक लाभ सोसायटी के रूप में घोषित किसी कंपनी द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियाँ;
- (vii) चिट फंड अधिनियम 1982 (1982 का 40) की धारा 2 के खंड (डी) में परिभाषित के अनुसार चिट फंड कारोबार के अर्थ के अंतर्गत आने वाली;
- (viii) म्यूचुअल फंड में अभिदान के रूप में किया गया अंशदान,
 - ऐसी अन्य योजना या व्यवस्था जिसे केंद्र सरकार बोर्ड के परामर्श से अधिसूचित करेगा, सामूहिक निवेश योजना नहीं होगी। प्रतिभूति अधिनियम (संशोधन)
 2014 में प्रावधान है कि ऐसी किसी योजना या व्यवस्था, जो बोर्ड के पास पंजीकृत नहीं है अथवा उपधारा (3) के अंतर्गत शामिल नहीं है, के अंतर्गत समूहित किसी राशि को, जिसमे एक सौ करोड़ रुपए अथवा अधिक की विशाल धनराशि शामिल है, सामूहिक निवेश योजना समझा जाएगा।
 - किसी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी, जिसने इस नियमावली के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, के अलावा अन्य कोई व्यक्ति किसी सामूहिक निवेश योजना को न ही चलाएगा अथवा न ही प्रवर्तित करेगा अथवा न ही शुरू करेगा।
 - "सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी" से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत निगमित है और इस नियमावली के अंतर्गत बोर्ड के पास पंजीकृत है जिसका उद्देश्य सामूहिक निवेश योजना का संगठन, परिचालन और प्रबंधन है।
 - सेबी (सीआईएस) विनियमावली 1999 मेन्यास बनाने की योजना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा योजना की रेटिंग करने, योजना को सीमित अवधि के लिए और केवल 180 दिनों के लिए अभिदान हेतु खुला रखने तथा एक्सचेंज में सीआईएस की यूनिटों को सूचीबद्ध करने आदि का प्रावधान किया गया है।
 - केवल एक संस्था (गिफ्ट निवेश कंपनी) को सीआईएस के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

डीम्ड सार्वजनिक निर्गम/ प्राइवेट प्लेसमेंट

- प्राइवेट प्लेसमेंट (गैर सार्वजनिक प्रस्ताव) ऐसी प्रतिभूतियों का एक निधीयन दौर होता है जिन्हें सार्वजनिक प्रस्ताव के जिए नहीं बल्कि निजी प्रस्ताव के जिरए, अधिकांशय: चुनिन्दा निवेशकों की एक छोटी संख्या को बेचा जाता है।
- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 67 में प्रावधान है कि जनता के किसी वर्ग को शेयरों अथवा ऋण पत्रों (डिबेंचरों) के किसी प्रस्ताव को सार्वजनिक निर्गम के रूप में माना जाएगा। लेकिन उपधारा 67 (3) में कहा गया है कि अभिदान के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव या निमंत्रण को सार्वजनिक निर्गम नहीं माना जाएगा यदि यह प्रस्ताव अधिकतम 49 व्यक्तियों को किया गया है।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23 सार्वजनिक निर्गम/ प्राइवेट प्लेसमेंट से संबन्धित है। नए कंपनी अधिनियम की धारा 42 में प्रावधान है कि प्राइवेट प्लेसमेंट एक वित्तीय वर्ष में समग्रत: अधिकतम 200 व्यक्तियों को और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 4 बार किया जा सकता है।
- कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट प्रस्ताव पत्र के निर्गम के जिए प्राइवेट प्लेसमेंट करती है और इसमें निवेशकों की पहचान पहले से ही होती है अर्थात निवेशकों के नाम निमंत्रण के पहले दर्ज कर लिए जाते हैं।
- > प्राइवेट प्लेसमेंट का ग्राहकों के बीच कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है।
- प्राइवेट प्लेसमेंट करने वाली कंपनी को चेक/डीडी अथवा अन्य बैंकिंग चैनल के जिए भुगतान प्राप्त होता है।
- कंपनी को आवेदन राशि प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों में प्रतिभूतियाँ आबंटित करनी होती हैं।
 - अधिकतम राशि 20,000 रुपए हो सकती है।

यदि निर्गम 200 से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो बॉन्ड, ऋण पत्र चाहे ये जमानती हों या गैर जमानती जैसी ऋण प्रतिभूतियों के जरिए धनराशि जुटाने वाली कंपनियों को सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता विनियमावली) 2008 के अनुसार सेबी में विवरण पुस्तिका फाइल करनी होती है।

5. शिकायत निवारण तंत्र

| सरकारी एजेंसी | निपटान की जाने वाली शिकायतों के प्रकार | कहाँ आवेदन करें |
|---------------------------------|--|--|
| एमसीए /आरओसी सत्यमेव जयते | कॉर्पोरेट सावधि जमाओं पर ब्याज भुगतान न करने के लिए, एजीएम आदि के आयोजन के संबंध में कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें। | शिकायतकर्ता कंपनी पंजीयक, जिसके अंतर्गत कंपनी पंजीकृत की गई है, को शिकायत भेज सकते हैं। दिल्ली और हरियाणा के लिए शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती हैं: दिल्ली एवं हरियाणा कंपनी पंजीयक चतुर्थ तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 फोन:- 011-26235707, 26235708, 26235709 फैक्स: 011-26235702 ई-मेल: roc.delhi@mca.gov.in |

| सरकारी एजेंसी | निपटान की जाने वाली शिकायतों के प्रकार | कहाँ आवेदन करें |
|-----------------------|---|--|
| भारतीय रिजर्व बैंक | सेवा उपलब्ध न कराने के लिए बैंकों के विरुद्ध शिकायतें, क्रेडिट कार्ड आदि के विरुद्ध शिकायतें। | बैंकिंग लोकपाल को निम्न पतों पर शिकायतें भेजी जा सकती हैं: 1. बैंकिंग लोकपाल, दिल्ली-। द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली टेली. नं. 011- 23725445/23710882 |

- (1) फैक्स नं. 23725218ई-मेल :bonewdelhi@rbi.org.in(अधिकार क्षेत्र: दिल्ली)
- (2) बैंकिंग लोकपाल, दिल्ली-II द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली टेली. नं. 011- 23724856 फैक्स नं. 23725218-19 ई-मेल:
 bonewdelhi2@rbi.org.in

(अधिकार क्षेत्र: हरियाणा (पंचकुला,यमुना नगर और अंबाला क्षेत्र को छोड़कर) तथा उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र

(3) बैंकिंग लोकपाल, चंडीगढ़ द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक चतुर्थ तल, सेक्टर 17 चंडीगढ़ टेली. नं. 0172 - 2721109 फैक्स नं. 0172 - 2721880 ई-मेल: bochandigarh@rbi.org.in

(अधिकार क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा हरियाणा के पंचकुला, यमुना नगर और अंबाला क्षेत्र) भारतीय रिज़र्व बैंक, नई उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक पंजीकृत दिल्ली में नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय एनबीएफसी के विरुद्ध 6, संसद मार्ग शिकायतें नई दिल्ली - 110 001 उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण कक्ष भारतीय रिज़र्व बैंक. भारतीय रिज़र्व बैंक चंडीगढ़ में पंजीकृत चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय एनबीएफसी के विरुद्ध सेक्टर-17 शिकायतें

| सरकारी एजेंसी | निपटान की जाने वाली शिकायतों के प्रकार | कहाँ आवेदन करें |
|---|--|--|
| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड | लाभांश का भुगतान न करने, शेयरों का अंतरण/ ट्रांसमिशन, अमूर्तिकरण (डिमैटरलाइजेशन) आदि के संबंध में कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें। | शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें www.scores.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता कंप्यूटर से भलीभांति परिचित नहीं है तो वह अपनी शिकायत निम्नलिखित पते पर भेज सकता है:- |

दलालों, उप-दलालों, निक्षेपागारों, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, म्यूचुअल फंड, निवेश सलाहकारों, शोध विश्लेषकों के विरुद्ध शिकायत

कमोडिटी दलालों के विरुद्ध शिकायतें।

- 1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड उत्तरी क्षेत्र कार्यालय 5th तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन:- 011-23724001-05 फैक्स:- 011-23724006 ई-मेल:- sebinro@sebi.gov.in
- 2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड चंडीगढ़ स्थानीय कार्यालय एससीओ-127-128, प्रथम तल, सेक्टर 17सी, चंडीगढ़-1600017 फोन-0172-2541717 ई-मेल:- chandigarh-lo@sebi.gov.in

3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड लखनऊ स्थानीय कार्यालय तृतीय तल, एल्डेको कॉर्पोरेट चैम्बर्स-II, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226 010 टेली: +91-0522-4017192 एवं 0522 -4017193.

ई-मेल:- <u>lucknow-</u> lo@sebi.gov.in

> 4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड देहरादून स्थानीय कार्यालय 2^{मरा} तल, जीएमवीएन भवन, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून-248 001 टेली: +91 0135-2740722/0135-2740725/

फैक्स:- +91 0135-274072/2740722

5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शिमला स्थानीय कार्यालय शांति विहार, कसुंप्ति, शिमला - 171 009 टेली: +91 177 2622600 ई-मेल: <u>shimla-</u> lo@sebi.gov.in

| सरकारी एजेंसी | निपटान की जाने वाली शिकायतों के प्रकार | कहाँ आवेदन करें |
|---|---|--|
| भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | बीमा कंपनियों या बीमा कंपनी से जुड़ी मध्यवर्ती संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें। | ग्राहक को सर्वप्रथम बीमा कंपनी के शिकायत निवारक अधिकारी से संपर्क कर शिकायत देनी होगी। यदि शिकायत प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर इसे दूर नहीं किया गया या कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शिकायतकर्ता आईआरडीएआई से संपर्क कर सकता है। आईआरडीएआई शिकायत के समाधान के लिए बीमा कंपनी के समक्ष मामले को रखते हुए समन्वयक की भूमिका निभाता है और शिकायत का जवाब देता है। |

आईआरडीएआई में कोई शिकायत निम्न में से किसी भी रूप में दर्ज कराई जा सकती है:

- टोल फ्री नंबर 155255
 /18004254732
 (आईआरडीएआई शिकायत
 कॉल सेंटर)
- complaints@irdai.gov
 .in पर ई-मेल
- www.igms.irda.gov.in पर समेकित शिकायत प्रबंध प्रणाली(आईजीएमएस)
- पत्र भेजें:-महाप्रबंधक भारतीय बीमा

विनियामक और

विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)

उपभोक्ता मामले विभाग, आईआरडीएआई, यूनाईटेड इंडिया टॉवर्स, 9वां तल, हैदरगुडा, बशीरबाग, हैदराबाद 500029 यदि शिकायतकर्ता बीमा कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह बीमा लोकपाल या उचित विधिक प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

बीमा दावों को पूर्णत: या आंशिक रूप से अस्वीकार करने, दावों के निपटान में विलंब, नीतियों के विधिक निर्माण में कोई विवाद जबिक ऐसे विवाद दावों से संबंधित हों, किए भुगतान किए वाले प्रीमियम और बीमा दस्तावेज जारी न करने से संबंधित विवादों पर बीमा कंपनियों विरुद्ध शिकायतें

निम्नलिखित पते पर बीमा लोकपाल को शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं: बीमा लोकपाल कार्यालय, एस.सी.ओ. नं. 101, 102 & 103, 2^{सरा} तल. बत्रा भवन, सेक्टर 17 - डी, चंडीगढ - 160 017. टेली:- 0172-2706196/ 2706468 फैक्स: 0172-2708274 ई-मेल:bimalokpal.chandigarh@gbi c.co.in (अधिकार क्षेत्र: पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ क्षेत्र) बीमा लोकपाल कार्यालय. 2/2 ए, यूनिवर्सल इंश्योरेंस भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002. टेली:- 011 - 23239633 / 23237532 फैक्स:- 011-23230858 ई-मेल:bimalokpal.delhi@gbic.co.in

(अधिकार क्षेत्र : दिल्ली)

| सरकारी एजेंसी | निपटान की जाने वाली शिकायतों के प्रकार | कहाँ आवेदन करें |
|---|--|---|
| पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण | शासकीय नोडल अधिकारियों, पीओपी, एग्रीगेटर, सीआरए के विरुद्ध शिकायतें शिकायत दर्ज करने के लिए | पीएफआरडीए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्राहक शिकायत का निवारण) नियम 2015 द्वारा अधिसूचित किया है। नियम के अनुसार, ग्राहक मध्यवर्ती संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज़/ पूछताछ कर सकता है। इन नियमों में पीएफआरडीए ने वर्धित मैट्रिक्स स्थापित की है। अपने टी-पिन का उपयोग कर सीआरए कॉल सेंटर के माध्यम से या सीजीएमएस के अंतर्गत आई-पिन का उपयोग कर सीआरए वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है या शिकायत का समाधान यदि संबद्ध कार्यालय की ओर से संभव हो तो उनसे संपर्क किया जा सकता है या |
| | | उनस सपक किया जा सकता ह या अपनी ओर से केंद्रीय शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीजीएमएस) में शिकायत दर्ज की जा सकती है। या एक विधिवत भरा हुआ फार्म जी1 (सीआरए वेबसाइट पर उपलब्ध) सीआरए को भेजकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। फार्म जी1 सीआरए वेबसाइट -> सब्स्क्राइबर कार्नर -> फार्म्स पर उपलब्ध है। |

सीआरए कॉल सेंटर
1800222080
पता:एनएसडीएल ई-गवर्नेंस
इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, प्रथम तल,
टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स
कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई – 400013.
टेली: (022) 4090 4242

एनपीएस सूचना डेस्क /
पीएफआरडीए कॉल सेंटर
1800 110 708

| सरकारी एजेंसी | निपटान की जाने वाली शिकायतों के प्रकार | कहाँ आवेदन करें |
|------------------------------------|--|--|
| राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) | आवास वित्त कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें | शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें https://www.grids.nhbonline.org .in पर दर्ज कर सकते हैं। यदि शिकायतकर्ता कंप्यूटर से भलीभांति परिचित नहीं है तो वह अपनी शिकायत निम्नलिखित पते पर भेज सकता है:- राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, 3सरा – 5वां तल, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003 |

Regulators

Ministrie

1. Indian Non-Banking Financial System and Regulators

- Ministry of Finance, Government of India
- Ministry of Corporate Affairs, Government of India
- Reserve Bank of India
 (RBI)
- Securities & Exchange Board of India (SEBI)
- Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)
- Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)
- National Housing Bank (NHB)

- Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India
- Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India

Department

2. Types of deposit taking activities from public and respective Regulators

| | Financial Institutions/Products/Schemes | Regulator |
|----|--|---|
| 1 | Banks | Reserve Bank of India (RBI)- (Banking Regulation Act, 1949) |
| 2 | Non Banking Finance Companies (NBFCs) | RBI- (Reserve Bank of India Act, 1934) |
| 3 | Nidhi Companies & Mutual Benefit Companies (MBC) | RBI and Ministry of Corporate Affairs (MCA)- (The Companies Act, 2013/1956) |
| 4 | Company Deposits | RBI/MCA- (The Companies Acceptance of Deposit Rules) |
| 5 | Collective Investments Schemes | Securities and Exchange Board of India (SEBI)- (CIS Regulations) |
| 6 | Mutual Funds | SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 |
| 7 | Chit Funds | State Govt (The Chit Funds Act, 1982) |
| 8 | Prize Chits & Money Circulation Schemes | State Government (Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978) |
| 9 | Insurance Products | Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) |
| 10 | National Pension System (NPS), Atal Pension Yojana and any other pension scheme not regulated by any other enactment | Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) |
| 11 | Deposits by Housing Finance Companies | National Housing Bank (NHB) |

3. Functions of Regulators

The interface between the companies and the investors is regulated through legislative framework of the Companies Act, 2013/1956 and other civil and criminal laws and by various regulators like SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA, NHB etc. The functions performed by the various regulators/government departments/agencies is as given below:

- Regulates corporate affairs in India through the Companies Act, 2013 the Companies Act 1956, the Limited Liability Partnership Act, 2008 & other allied Acts and rules & regulations like Partnership Act, 1932, Competition Act 2002, Societies Registration Act 1980 etc.
- MCA has a 3 Tier set-up with Regional Directors at Kolkata, Chennai, New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong Offices for East, South, North, West, North-West, South-East and North-East regions respectively, offices of Registrar of Companies (ROC) in various States and Union Territories and Official Liquidators, attached to the High Courts.
- The Registrar of Companies (ROCs) is vested with the primary duty of registering companies and Limited Liability Partnership (LLPs) floated in the respective States and the Union Territories and to ensure that such companies and LLPs comply with the statutory requirements under the Act. Offices of ROC function as registry of records relating to the companies registered with them.
- Persons desirous of forming a company can come together and form a public limited company (with a minimum paid up capital (prescribed as and when) and minimum 7 persons as subscribers) or a Private Limited company (with a minimum paid up capital (prescribed as and when) and minimum 2 persons as subscribers). The company files an application for registration along with Memorandum and Articles of Association. In the Memorandum and Articles of Association, the company provides details like its name, whether public or private limited, the state in which the registered office of the company is located, main object and incidental object of the company, whether liability is limited by shares or limited liability of directors limited by guarantee, details of its directors etc.
- The ROC issues Certificate of Incorporation to the company. The company has to obtain Certificate for Commencement of Business before starting its business or raising money.



1. Ministry of Corporate Affairs Government ' of India RBI was established on April 1, 1935 under the provisions of Reserve Bank of India Act, 1934. The Preamble of the RBI describes the basic functions of the Reserve Bank as, "...to regulate the issue of Bank Notes and keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage."

Role and functions of RBI are as follows:

 Monetary Authority: Formulates, implements and monitors the monetary policy.

Objective: maintaining price stability and ensuring adequate flow of credit to productive sectors.

Regulator and supervisor of the financial system:
 Prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and financial system functions.

Objective: maintain public confidence in the system, protect depositors' interest and provide cost-effective banking services to the public.

The Reserve Bank of India performs Financial Supervision under the guidance of the **Board for Financial Supervision (BFS)**. The Board was constituted in November 1994 as a committee of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India.

Primary objective of BFS is to undertake consolidated supervision of the financial sector comprising commercial banks, financial institutions and non-banking finance companies.

Current Focus: Supervision of financial institutions, Consolidated accounting, Legal issues in bank frauds, Divergence in assessments of non-performing assets and Supervisory rating model for banks.

The Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Systems (BPSS), a sub-committee of the Central Board of the Reserve Bank of India is the highest policy making body on payment systems in the country.



2. Reserve Bank of India The Securities and Exchange Board of India (SEBI) was
established on April 12, 1992, in accordance with the provisions
of SEBI Act, 1992. The Preamble of the SEBI describes its basic
functions as, "...to protect the interests of investors in
securities and to promote the development of, and to regulate
the securities market and for matters connected therewith or
incidental thereto"

Major legislations governing the securities markets are as follows:

- Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
- Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.
- Depositories Act, 1996.
- Companies Act, 2013/1956

The role and function of SEBI are as follows:

- Regulating Stock Exchanges
- Registering and regulating market intermediaries viz. brokers, sub-brokers, bankers to issue, trustees, registrar & transfer agents, underwriters, merchant bankers, portfolio managers, investment advisors
- Registering and regulating working of depositories, participants, custodians, FIIs, credit rating agencies, mutual funds and venture capital funds
- Registering and regulating the working of Collective Investment Schemes
- Prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities market, Prohibiting insider trading in securities
- Call information, undertaking inspection, conducting enquiries of intermediaries and Self-Regulatory Organizations (SROs)
- · Regulating substantial acquisition of shares & takeovers
- As per Sec11(A) of SEBI Act, 1992, the Board for the protection of investors may specify by regulation, the matters relating to issue of capital or transfer of securities and related disclosures
- Or by general or special order, prohibit any company from issuing prospectus, offer document, or advt soliciting money from public or specify conditions for their issuance.
- > General Myth- SEBI approves Public Issues & Pricing
- Reality SEBI only mandates entry and disclosure norms. Lead Managers do due-diligence & certify disclosures. An issuer may determine the price of specified securities in consultation with lead merchant banker or book building process. Coupon rate & conversion price of a convertible debt instrument can be similarly determined.



3.

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) is an autonomous body set up under the IRDAAct, 1999.

IRDAI's Mission is:

- To protect the interests of policyholders and to regulate and develop the insurance industry.
- To bring about speedy and orderly growth of the insurance industry (including annuity and superannuation payments), for the benefit of the common man, and to provide long term funds for accelerating growth of the economy;
- To set, promote, monitor and enforce high standards of integrity, financial soundness, fair dealing and competence of those it regulates;
- To ensure speedy settlement of genuine claims, to prevent insurance frauds and other malpractices and put in place effective grievance redressal machinery;
- To promote fairness, transparency and orderly conduct in financial markets dealing with insurance and build a reliable management information system to enforce high standards of financial soundness amongst market players;
- To take action where such standards are inadequate or ineffectively enforced
- To bring about optimum amount of self-regulation in day-today working of the industry consistent with the requirements of prudential regulation.

Functions of IRDAI:

- To issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration;
- Protection of the interests of the policy holders in matters concerning assigning of policy, nomination by policy holders, insurable interest, settlement of insurance claim, surrender value of policy and other terms and conditions of contracts of insurance;
- Specifying requisite qualifications, code of conduct and practical training for intermediary or insurance intermediaries and agents



Insurance
Regulatory
and
Development
Authority
of India
(IRDAI)

- · Specifying the code of conduct for surveyors and loss assessors;
- Promoting efficiency in the conduct of insurance business;
- Promoting and regulating professional organisations connected with the insurance and reinsurance business;
- · Levying fees and other charges for carrying out the purposes of this Act;
- Calling for information from, undertaking inspection of, conducting enquiries and investigations including audit of the insurers, intermediaries, insurance intermediaries and other organisations connected with the insurance business;
- Control and regulation of the rates, advantages, terms and conditions that may be offered by insurers in respect of general insurance business
- Specifying the form and manner in which books of account shall be maintained and statement
 of accounts shall be rendered by insurers and other insurance intermediaries;
- · Regulating investment of funds by insurance companies;
- · Regulating maintenance of margin of solvency;
- · Adjudication of disputes between insurers and intermediaries or insurance intermediaries;
- Specifying the percentage of premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organisations referred above;
- Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurer in the rural or social sector; and
- Exercising such other powers as may be prescribed

IRDAI has issued Regulations for the life, general, re-insurance and health insurance business, insurance agents and intermediaries. The regulations cast the responsibility of the insurance agents and intermediaries to obtain a certificate of registration before commencing business of selling insurance products.

Pension Fund Regulatory & Development Authority Act was passed on 19th September, 2013 and the same was notified on 1st February, 2014. PFRDA is regulating National Pension System (NPS), subscribed by employees of Govt. of India, State Governments, employees of private institutions/organizations, Individuals & unorganized sectors.

The Preamble of the Pension Fund Regulatory & Development Authority Act, 2013 describes the basic functions of the PFRDA as -".... to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto."

After the passage of Act, PFRDA has notified 15 regulations. PFRDA Act has also provided same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in certain cases.

Following are the role and functions of authority:

Regulation 14 (1) Subject to the provisions of this Act and any other law for the time being in force, the Authority shall have the duty, to regulate, promote and ensure orderly growth of the National Pension System and pension schemes to which this Act applies and to protect the interests of subscribers of such System and schemes.

- (2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section 14(1), the powers and functions of the Authority shall include—
- (a) regulating the National Pension System and the pension schemes to which this Act applies;
- (b) approving the schemes, the terms and conditions thereof and laying down norms for the management of the corpus of the pension funds, including investment guidelines under such schemes;
- (c) registering and regulating intermediaries;
- (d) issuing to an intermediary, on application, a certificate of registration and renewing, modifying, withdrawing, suspending or cancelling such registration;



5.
Pension
Fund
Regulatory
and
Development
Authority
(PFRDA)

- (e) protecting the interests of subscribers by—
 - (i) ensuring safety of the contribution of subscribers to various schemes of pension funds to which this Act applies;
 - (ii) ensuring that the intermediation and other operational costs under the National Pension System are economical and reasonable;
- (f) establishing mechanism for redressal of grievances of subscribers to be determined by regulations;
- (g) promoting professional organisations connected with the pension system;
- (h) adjudication of disputes between intermediaries and between intermediaries and subscribers;
- (i) collecting data and requiring the intermediaries to collect such data and undertaking and commissioning studies, research and projects;
- (j) undertaking steps for educating subscribers and the general public on issues relating to pension, retirement savings and related issues and training of intermediaries;
- (k) standardising dissemination of information about performance of pension funds and performance benchmarks;
- (1) regulating the regulated assets;
- (m) levying fees or other charges for carrying out the purposes of this Act;
- (n) specifying by regulations the form and manner in which books of account shall be maintained and statement of accounts shall be rendered by intermediaries;
- (o) calling for information from, undertaking inspection of, conducting inquiries and investigations including audit of, intermediaries and other entities or organisations connected with pension funds;
- (p) exercising such other powers and functions as may be prescribed.

NHB was set up on July 9, 1988 under the National Housing Bank Act, 1987. The Preamble of the National Housing Bank Act, 1987 describes the basic functions of the NHB as –

"... to operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at local and regional levels and to provide financial and other support to such institutions and for matters connected therewith or incidental thereto ..."

The functions of NHB are as follows:

- To promote a sound, healthy, viable and cost effective housing finance system to cater to all segments of the population and to integrate the housing finance system with the overall financial system.
- To promote a network of dedicated housing finance institutions to adequately serve various regions and different income groups.
- To augment resources for the sector and channelize them for housing.
- To make housing credit more affordable.
- To regulate the activities of housing finance companies based on regulatory and supervisory authority derived under the Act.
- To encourage augmentation of supply of buildable land and also building materials for housing and to upgrade the housing stock in the country.
- To encourage public agencies to emerge as facilitators and suppliers of serviced land, for housing.

Details on activities of NHB relating to Regulation and Supervision; The Housing Finance Companies (NHB) Directions and Policy circulars along with the list of Housing Finance Companies registered with NHB is available at NHB's website www.nhb.org.in.



6.
National
Housing
Bank
(NHB)

The main functions of the Registrar are as under:-

- · Registration of Cooperative Societies;
- Registration of amendments in the Bye-laws of Cooperative Societies;
- Amalgamation, Division and re-organization of Cooperative Societies;
- Ensure timely Election of the Managing Committee in Cooperative Societies;
- Conduct elections of Managing Committee in primary cooperative banks and federal cooperative societies;
- Ensure proper investment of funds by Cooperative Societies as per Act and Rules;
- Conduct audit, order inspection, enquiry and also fixing surcharge on negligent functionaries of cooperative societies;
- Settle disputes of Cooperative Societies through the process of arbitration.
- Function as an appellate Court;
- Enforcement/execution of Orders, Awards and Decrees of various Courts;
- Order winding up and cancellation of registration of defunct/non-functional societies.
- Operating Cooperative Education Fund for training, education, propaganda and publicity programme for the development of Cooperative Movement in the NCT of Delhi.
- To frame/amend Cooperative Societies Rules, 1973 from time to time.
- Issue Instructions/directives for the promotion of business of different type of Cooperatives;
- To approve proposals for enrolment, resignation and cessation of membership in Housing Cooperative; and
- To frame, execute and monitor various beneficiary schemes approved by the Central /State Govts, including financial assistance to various sectors of Cooperatives.
- The co-operative societies functioning in more than one state are termed as multi-state co-operative societies and are regulated by the Central Registrar of C-operative Societies (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India).
- The affairs of the Multi State Co-operative Societies are regulated as per the Multi-State Co-operative Society Act, 2002.
- ➤ The list of Multi State Co-operative Societies is provided on the website www.mscs.dac.gov.in.



7.Registrar ofCo-operativeSocieties

RCS-Delhi

The Registrar, Cooperative Societies, appointed by the Lt. Governor, Delhi under Delhi Cooperative Societies Act, 2003, heads the Cooperative Department and plays a pivotal role in monitoring the functioning of Cooperative Societies registered under the Act. The Office of the Registrar is working on eight-section pattern and has eight Sections headed by Assistant Registrar level Officers. Each section handles the matters of various cooperative societies on the basis of their registered office located in that particular section.

RCS-Haryana

The Haryana Co-operative Societies Act 1984 was formulated to facilitate the formation of Co-operative Societies for the promotion of thrift and self-help among agriculturists, artisans and persons of Limited means, and for that purpose to amend the law relating to Co-operative Societies.

- The Government of India enacted the Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 to ban the promotion or conduct of prize chits and money circulation schemes.
- "Money Circulation Scheme" means any scheme, by whatever name called, for the making of quick or easy money, or for the receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money, on any event or contingency relative or applicable to the enrolment of members into the scheme, whether or not such money or thing is derived from the entrance money of the members of such scheme or periodical subscriptions.
- The Government of India enacted the Chit Fund Act in 1982.
 Both National Capital Territory of Delhi and Haryana State
 Government has adopted the Chit Fund Act. The rules under the Act is framed in GNCT of Delhi and are being framed in Haryana.
- Chit means a transaction whether called chit, chit fund, chitty, kuree or by any other name by or under which a person enters into an agreement with a specified number of persons
- Both Govt of NCT of Delhi and Haryana State Government have enacted the Protection of Interest of Depositors Act and rules there under. The Act provides for administrative and penal action against the financial establishments who fail to return deposit/ interest to the depositors. The Act also has provisions of arrest of the accused and attachment of properties of errant financial establishments.

That every one of them shall subscribe a certain sum of money (or a certain quantity of grain instead) by way of periodical installments over a definite period and that each such subscriber shall, in his turn, as determined by lot or by auction or by tender or in such other manner as may be specified in the chit agreement, be entitled to the prize amount.



4. Note on NBFCs, Collective Investment Schemes, Raising Funds through Private Placements

1. Non Banking Financial Companies

- <u>Definition</u>: A Non-Banking Financial Company (NBFC) is a company registered under the Companies
 Act, 1956 and engaged in the business of loans and advances, investment in financial assets, leasing, hirepurchase, insurance business, but does not include any institution whose principal business is that of
 agriculture activity, industrial activity, purchase or sale of any goods (other than securities) or providing
 any services and sale/purchase/construction of immovable property.
- · NBFC cannot accept demand deposits.
- NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue cheques drawn on itself.
- In case of NBFCs registered with RBI, only those NBFCs to which RBI had given a specific authorisation
 and have an investment grade rating are allowed to accept/hold public deposits to a limit of 1.5 times of its
 Net Owned Funds.
- Unincorporated bodies cannot accept deposits from public. Proprietorship and partnership
 concerns are un-incorporated bodies. Hence they are prohibited under the RBI Act 1934 from accepting
 public deposits. Such unincorporated entities, if found accepting public deposits, are liable for criminal
 action.
- The NBFCs are allowed to accept/renew public deposits for a minimum period of 12 months and maximum period of 60 months. They cannot accept deposits repayable on demand.
- NBFCs cannot offer more than 12.5% rate of interest. Presently, the maximum rate of interest an NBFC authorized to accept deposits can offer is 12.5%. The interest may be paid or compounded at rests not shorter than monthly rests.
- NBFC Deposits are neither insured nor guaranteed by RBI. Deposit insurance facility of Deposit
 Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is not available to depositors of NBFCs, unlike in
 case of banks.
- The list of registered NBFCs is available on the web site of Reserve Bank of India and can be viewed at www.rbi.org.in. The list of NBFCs that hold a valid Certificate of Registration for accepting deposits is also provided on RBI website: www.rbi.org.in

2. Collective Investment Schemes

Collective Investment Schemes<u>Definition:</u> In terms of Section 11AA of SEBI Act, any scheme or arrangement which satisfies the conditions referred to in sub-section (2) [or sub-section (2A)] shall be a collective investment scheme: (2) Any scheme or arrangement made or offered by any 31[person] under which,—

(I) the contributions, or payments made by the investors, by whatever name called, are pooled and utilized for the purposes of the scheme or arrangement; - (This implies that there is pooling of contributions)

- (ii) the contributions or payments are made to such scheme or arrangement by the investors with a view to receive profits, income, produce or property, whether movable or immovable from such scheme or arrangement; -(This implies that the investors give contributions with a view to receive returns.
- (iii) the property, contribution or investment forming part of scheme or arrangement, whether identifiable or not, is managed on behalf of the investors; (This implies that the scheme property is managed by the Collective Investment Scheme on behalf of investors)
- (iv) the investors do not have day to day control over the management and operation of the scheme or arrangement. (This implies that the investor has no control over day -to day management/operations)
- [(2A)] Any scheme or arrangement made or offered by any person satisfying the conditions as may be specified in accordance with the regulations made under this Act.]

Section 11AA(3) of SEBI Act-provides following exemption from CIS

- > (i) made or offered by a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or a society being a society registered or deemed to be registered under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any State;
- ➤ (ii) under which deposits are accepted by non-banking financial companies as defined in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);
- > (iii) being a contract of insurance to which the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), applies;
- (iv) providing for any Scheme, Pension Scheme or the Insurance Scheme framed under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952); (v) under which deposits are accepted under section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (vi) under which deposits are accepted by a company declared as a Nidhi or a mutual benefit society under section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (vii) falling within the meaning of Chit business as defined in clause (d) of section 2 of the Chit Fund Act, 1982 (40 of 1982);
- > (viii) under which contributions made are in the nature of subscription to a mutual fund;
- such other scheme or arrangement which the Central Government may, in consultation with the Board, notify,] shall not be a collective investment scheme. The Securities Laws (Amendment) Act, 2014 provides that any pooling of funds under any scheme or arrangement, which is not registered with the Board or is not covered under sub-section (3), involving a corpus amount of one hundred crore rupees or more shall be deemed to be a collective investment scheme.
- No person other than a Collective Investment Management Company which has obtained a certificate
 under these regulations shall carry on or sponsor or launch a collective investment scheme.
- "Collective Investment Management Company" means a company incorporated under the Companies
 Act, 1956 (1 of 1956) and registered with the Board under these regulations, whose object is to organise,
 operate and manage a collective investment scheme;
- The SEBI (CIS) Regulations, 1999 provide for schemes to form trust, rating of schemes by Credit rating Agencies, scheme to be close ended and remain open for subscription for 180 days only and listing of units of CIS on exchange etc.
- Only one entity (GIFT Investment Management Company) that has been granted Certificate of Registration as CIS.

3. Deemed Public Issues / Private Placement

- Private placement (or non-public offering) is a funding round of securities which are sold not through a public offering, but rather through a private offering, mostly to a small number of chosen investors.
- The Section 67 of the Companies Act 1956 provided that any offer of shares or debentures to any section of public shall be considered as public issue. However subsection 67(3) stated that an offer or invitation to subscribe shall not be treated as public issue if offer is made to maximum 49 persons.
- The Companies Act 2013 has Section 23 which deals with public issue and private placement. Section 42 of the New Companies Act provides that private placement can be made to maximum of 200 persons in the aggregate in a financial year and maximum of 4 times in a Financial Year.
 - Company makes private placement through issue of a private placement offer letter and the investors are pre-identified i.e. Names of investors are recorded before making invitation.
 - No publicity or marketing of private placement.
 - Company making Private Placement to receive payment by cheque/ DD or other banking channel.
 - Company to allot securities with 60 days from date of receipt of application money.
 - > Minimum amount is Rs20,000/-

Companies raising funds through debt securities like bonds, debentures whether secured or unsecured have to file a prospectus with SEBI as per SEBI (Issuance and Listing of Debt Securities Regulations), 2008 if the issue is made to more than 200 persons.

5. Grievance Redressal Mechanisms

| Government Agency | Types of Complaints Handled | Where to Apply |
|-------------------------|--|--|
| MCA/ROC सत्यमेव जयते | Complaints against companies for non-payment of interest on corporate fixed deposits, regarding conduct of AGMs etc. | The complainant may write to Registrar of Companies under which the company is registered. For Delhi and Haryana, the complaints may be forwarded to following address: Registrar of Companies Delhi & Haryana 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phone: 011-26235707, 26235708, 26235709 Fax: 011-26235702 Email: roc.delhi@mca.gov.in |

| Government Agency | Types of Complaints Handled | Where to Apply |
|-----------------------|--|--|
| Reserve Bank of India | Complaints against banks for non-provision of services, complaints against credit cards etc. | The complainant may write to Banking Ombudsman at the following addresses: (1) Banking Ombudsman, Delhi-I C/o Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, New Delhi Tel. No. 011-23725445/23710882 Fax No. 23725218 Email: bonewdelhi@rbi.org.in (Jurisdiction: Delhi.) (2) Banking Ombudsman, Delhi-II C/o Reserve Bank of India Sansad Marg, New Delhi Tel. No.011- 23724856 Fax No. 23725218-19 Email: bonewdelhi2@rbi.org.in (Jurisdiction: Haryana (except Panchkula, Yamuna Nagar and Ambala Districts) and Ghaziabad and Gautam Budh Nagar districts of Uttar Pradesh) |

| Complaints against banks for non-provision of services, complaints against credit cards etc. | (3) Banking Ombudsman, Chandigarh C/o Reserve Bank of India 4th Floor, Sector 17 Chandigarh Tel. No. 0172 - 2721109 Fax No. 0172 - 2721880 Email: bochandigarh@rbi.org.in (Jurisdiction: Himachal Pradesh, Punjab, Union Territory of Chandigarh and Panchkula, Yamuna Nagar and Ambala Districts of Haryana.) |
|--|--|
| Complaints against NBFCs registered with RBI, New Delhi | Consumer Education and Protection Cell Reserve Bank of India New Delhi Regional office 6, Sansad Marg New Delhi – 110 001 |
| Complaints against NBFCs registered with RBI, Chandigarh | Consumer Education and Protection Cell Reserve Bank of India Chandigarh Regional office Sector-17 Chandigarh – 160 017 |

| Government Agency | Types of Complaints Handled | Where to Apply |
|--|--|---|
| Securities and Exchange Board of India | Complaints against companies for non-payment of dividend, regarding transfer/ transmission of shares, dematerialisation etc. Complaints against brokers, subbrokers, Depositories, Depository Participants, Registrar and Transfer Agents, Mutual Funds, Investment Advisors, Research Analsyts. Complaints against commodity brokers. | The complainants can lodge their complaints at www.scores.gov.in. In case the complainant is not conversant with computers, the complainants can send their complaints in writing to the following addresses: 1) Securities and Exchange Board of India Northern Regional Office 5 th Floor Bank of Baroda, Building, 16, Sansad Marg, New Delhi-110001 Phone:011-23724001-05 Fax:011-23724006 Email: sebinro@sebi.gov.in 2) Securities and Exchange Board of India Chandigarh Local Office SCO-127-128, First Floor, Sector 17C, Chandigarh-1600017 Phone-0172-2541717 |

| 3) Securities and Exchange Board of India Lucknow Local Office 3rd Floor, Eldeco Corporate Chambers-II, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow -226 010 |
|--|
| Tel: +91-0522-4017192 & 0522 - 4017193. E-mail : lucknow-lo@sebi.gov.in |
| 4) Securities and Exchange Board of India Dehradun Local Office 2nd Floor, GMVN Building, 74/1, Rajpur Road, Dehradun-248 001 Tel: +91 0135-2740722/0135-2740725/ Fax:+91 0135-274072/2740722 E-mail: dehradun-lo@sebi.gov.in |
| 5) Securities and Exchange Board of India Shimla Local Office Shanti Vihar, Kasumpti, |
| Shimla - 171 009 Tel: +91 177 2622600 E-mail : shimla-lo@sebi.gov.in |
| |

| Government Agency | Types of Complaints Handled | Where to Apply |
|---|--|---|
| Insurance Regulatory and Development Authority of India | Complaints against insurance companies or an intermediary associated with insurance company. | Customers have to approach Grievance redressal officer of the insurance company first and give the complaint. If the complaint is not resolved within two weeks of its receipt or it is unattended, the complainant can approach IRDAI. IRDAI plays a facilitative role by taking up the complaint with the insurance companies for their resolution and responding to the complaint. A complaint can be registered with IRDAI through any of the following modes: Toll free number 155255 /18004254732 (IRDAI Grievance Call Centre) Email at complaints@irdai.gov.in Integrated Grievance Management System (IGMS) at www.igms.irda.gov.in. |

Complaints against insurance

companies pertaining to

repudiation of claims totally or

partially, delay in settlement of

claims, any dispute on the legal

construction of the policies in so

far as such disputes relate to

claims, disputes regarding

premiums paid / payable and non-issue of insurance

documents.

Sending letter to IRDAI at The General Manager, Consumer Affairs Department, IRDAI, United India Towers, 9th floor, Hyderguda, Basheerbagh, Hyderabad. 500029 In case complainant is not satisfied with the resolution of the insurance company, he/she may approach the Insurance Ombudsman or the appropriate legal authority. Complaints can be lodged with the insurance ombudsman at the following address: Office of the Insurance Ombudsman, S.C.O. No. 101, 102 & 103, 2nd Floor. Batra Building, Sector 17 - D, Chandigarh - 160 017. Tel.:- 0172-2706196/ 2706468 Fax:- 0172-2708274 Email:bimalokpal.chandigarh@gbic.co.in (Jurisdiction: States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Union territory of Chandigarh.) Office of the Insurance Ombudsman, 2/2 A, Universal Insurance Building, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002. Tel.:- 011 - 23239633 / 23237532

Fax:- 011-23230858

(Jurisdiction: Delhi)

Email:- bimalokpal.delhi@gbic.co.in

| Government Agency | Types of Complaints Handled | Where to Apply |
|---|--|---|
| Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) | Complaints against Government nodal offices , PoPs, Aggregators, CRA | PFRDA has notified Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of subscriber Grievance) Regulations 2015. As per the regulations, subscribers can raise grievances/ queries against the intermediaries .In these regulations, PFRDA has also established escalation matrix. |

| Government Agency | Types of Complaints Handled | Where to Apply |
|-----------------------------|---|--|
| National Housing Bank (NHB) | Complaints against Housing Finance Companies | The Complainants can lodge their complaints at https://www.grids.nhbonline.org.in In case the complainant is not conversant with computer, he/she can send complaints in writing to the following address: National Housing Bank Core 5A, India Habitat Centre, 3 rd – 5 th floor, Lodhi Road, New Delhi – 110 003 |